छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन
मुख्यालय–सेक्टर–24, अटल नगर, नवा रायपुर (छ0ग0)
Telephone: 0771-2272969

क्रं0/1540/छगवेका/स्था0(EST 60)/2023–24/नवा रायपुर दिनांक– 02.02.24

–:: संशोधित निविदा सूचना ::–

सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन में मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाने हेतु निविदा सूचना दिनांक 29.12.2023 जारी की गई थी उक्त निविदा प्रपत्र में आंशिक संशोधन कर **"संशोधित निविदा प्रपत्र"** निगम की वेबसाईट www.cgswc.cg.gov.in पर अपलोड किया गया है। जिसका अवलोकन किया जा सकता है। जिन्होने पूर्व में निविदा प्रपत्र क्रय किया है उन्हें संशोधित निविदा प्रपत्र क्रय करने की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु संशोधित नियम/शर्तें लागू होंगी।

संशोधित निविदा प्रपत्र छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन मुख्यालय रायपुर से रूपये 5000/- (पाँच हजार) नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट जमा कर कार्यालयीन कार्य अवधि में प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथी	16.02.2024 अपरान्ह 04.00 बजे तक
तकनीकी निविदा खोलने की तिथी	19.02.2024 अपरान्ह 02.00 बजे तक
वित्तीय निविदा खोलने की तिथी	20.02.2024 अपरान्ह 02.00 बजे तक

प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित।

प्रबंधक (कार्मिक)

छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन

प्रधान–कार्यालय, ग्राम–झांझ, सेक्टर–24, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)
फोन नं. 0771–2272969 फैक्स नं. 0771–2513700

छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन हेतु उच्च कुशल श्रमिक के रूप में लेखापाल, कनिष्ठ सहायक एवं श्रमिक कार्य हेतु मानव संसाधन की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु संशोधित निविदा–प्रपत्र

निविदा सूचना क्रमांक / छगवेका / स्था0(60) / 2023–24 /   नवा रायपुर, दिनांक–

// निविदा सूचना का निविदा प्रपत्र//

(संशोधित)

निविदाकार / फर्म का नाम एवं पता :– ....

....

....

निविदा प्रपत्र का शुल्क (Non-Refundable)	5,000/- (पांच हजार रूपये मात्र) जी0एस0टी0 सहित *(वापसी योग्य नहीं)*	बैंक ड्रॉफ्ट / कैश रसीद क्रमांक .... दिनांक.............................. बैंक का नाम..............................
अमानत राशि रूपये	10,00000/- (दस लाख रूपये मात्र)	बैंक ड्रॉफ्ट क्र.............................. दिनांक.............................. बैंक का नाम..............................
निविदा प्रपत्र जारी करने की तिथि	29 / 12 / 2023	
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	16 / 02 / 2024 अपरान्ह 04 बजे तक	
तकनीकी निविदा खोलने की तिथि	19 / 02 / 2024 अपरान्ह 02 बजे	
वित्तीय निविदा खोलने की तिथि	20 / 02 / 2024 अपरान्ह 02 बजे	

छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन

प्रधान–कार्यालय, ग्राम–झांझ, सेक्टर–24, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)
Telephone: 0771-2272969, Email: swc.mgrpersonnel@gmail.com, Website : www.cgswc.cg.gov.in

निविदा सूचना

निविदा की नियम एवं शर्तें

1. सेवा प्रदाता द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन में **उच्च कुशल श्रमिक** के रूप में **लेखापाल, कनिष्ठ सहायक, एवं श्रमिक (कलेक्टर दर – उच्च कुशल/कुशल/अकुशल)** मानव संसाधन उपलब्ध कराये जायेगें।

2. निविदाकारों को अमानत राशि के रूप में रू. 10,00000/- (दस लाख रुपये मात्र) "प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन", रायपुर के नाम से देय बैंक ड्राफ्ट, पृथक लिफाफा में जमा किया जाना अनिवार्य है। सफल निविदाकार की जमा, अमानत राशि, अनुबंध के समय सुरक्षा जमा राशि के रूप में सम्मिलित की जावेगी।

3. सफल निविदाकार की अमानत राशि को, सुरक्षा जमा (S.D.) राशि के रूप में रखा जावेगा और सेवा अवधि संतोषप्रद ढंग से समाप्ति के पश्चात् वापस की जावेगी। उक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। अन्य निविदाकारों की अमानत राशि, सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध निष्पादित करने के उपरांत वापस कर दी जावेगी।

4. **प्लेसमेंट एजेंसी की पात्रता हेतु न्यूनतम मापदण्डः–**

(i) विगत तीन वर्षो में शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों में विभिन्न कार्यों हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराने का सभी संस्थाओं को मिलाकर कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो। साक्ष्य हेतु नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र एवं संतोष जनक सेवा देने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें स्पष्टतः लिखा हो कि कौन सी सेवा दी गई है जैसे– तकनीकी सहायक, उप–अभियंता, लेखापाल, कनिष्ठ सहायक (सहायक ग्रेड –3 के समकक्ष), श्रमिक (उच्च कुशल/कुशल/अकुशल) इत्यादि। (सिर्फ सिक्युरिटी गार्ड की सेवाएं प्रदाय करने वाले फर्म को अपात्र किया जाएगा।)

(ii) फर्म के द्वारा मानव संसाधन की सेवाएं उपलब्ध कराने का तीन वर्ष (वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 का,) औसत वार्षिक टर्न ओवर कम से कम रू. 50 लाख होने का चार्टर्ड एकाउंटेन्ट से सत्यापित प्रमाण पत्र UDI नबंर सहित प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र में मानव संसाधन सेवा के टर्न ओवर का स्पष्ट उल्लेख होना अनिवार्य है।

(iii) एम्पलाईज प्रोविडेन्ट फंड, लेबर एक्ट, जीएसटी आदि के अंतर्गत वैध एवं जीवित पंजीयन हो (जहां लागू हो)। पंजीयन प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां टेक्निकल बिड लिफाफा में जमा करना होगा। टेक्नीकल बिड क्वालीफाई होने के उपरांत ही प्राईज बिड खोली जावेगी।

(iv) एजेंसी का रजिस्टर्ड हेड ऑफिस छत्तीसगढ़ में अनिवार्यतः स्थित होना चाहिए। इस हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(v) आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी लेखा संख्या (पैन नंबर) प्राप्त हो, पैनकार्ड की प्रति जमा करना होगा।

(vi) विगत तीन वर्षो 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 का वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट एवं आयकर रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(vii) निविदा के अंतर्गत उपलब्ध कराये जाने वाले विभिन्न प्रकार के मानव संसाधन की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव (यदि हो) एवं न्यूनतम/अधिकतम आयु का उल्लेख परिशिष्ट–3 में किया गया है। प्लेसमेंट एजेंसी को निगम की आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराये जाने वाले मानव संसाधन की संख्या से अवगत कराया जावेगा। प्लेसमेंट एजेंसी को छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, रायपुर द्वारा सूचना दिये जाने पर उक्त अनुसूची में वर्णित शैक्षणिक योग्यता/अर्हता तथा अनुभव रखने वाले मानव संसाधन, सूचना प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर उपलब्ध करना होगा। कर्मियों की संख्या में कमी या बढ़ोंत्तरी, छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, रायपुर द्वारा समय–समय पर की जा सकेगी।

प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी कर्मी प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा नियोजित होंगे तथा कर्मियों एवं छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, रायपुर के मध्य सेवक एवं नियोजक का संबंध नहीं रहेगा। यदि कोई कर्मी कार्य के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता या अनुशासनहीन होना पाया जाता है तो छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, रायपुर से लिखित सूचना प्राप्त होने पर प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उसे तत्काल वापस लेना होगा तथा यदि आवश्यकता हो तो उसके बदले अन्य कर्मी भेजना होगा। यदि नियोजित कर्मी द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन को आर्थिक हानि पहुँचाई जाती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति की जवाबदेही प्लेसमेंट एजेंसी पर ही होगी। कर्मियों की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा मेडिकल फिटनेस, पुलिस वेरिफिकेशन, चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन आदि का उत्तरदायित्व प्लेसमेंट एजेंसी का होगा। कार्य स्थल पर किसी भी तरह की दुर्घटना से कर्मी को होने वाली क्षति (स्थाई/अस्थाई विकलांगता अथवा मृत्यु) हेतु बीमा प्लेंसमेंट एजेंसी को कराना होगा।

(viii) कंपनी होने की दशा में कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एण्ड ऐसोसिसेशन की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ix) निविदा की स्वीकृति सूचना (NOA) जारी होने के सात दिनों के भीतर सफल निविदाकार को 100/– रूपये के नॉन–ज्यूडिसियल स्टॉम्प में नोटरी द्वारा सत्यापित अनुबंध करना होगा। निविदा के अंतर्गत अनुबंध की अवधि अधिकतम तीन वर्ष की होगी जिसे आवश्यकतानुसार सफल संतोषप्रद सेवा देने पर एक वर्ष तक समान सर्विस दरों पर बढ़ाया जा सकेगा जिसके लिए प्लेसमेंट एजेंसी बाध्य रहेगी। सफल निविदाकार द्वारा सात दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादन न करने की स्थिति अथवा सेवा संतोषप्रद न पाये जाने पर निविदाकर्ता की अमानत/सुरक्षा जमा (S.D.) राशि राजसात करते हुए भविष्य में छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, में निविदा में भाग लेने हेतु अपात्र होगा।

(x) निविदादाता को राशि ₹ 20.00 लाख (रूपये बीस लाख) का निविदा के समय प्रभावशील बैंक साल्वेंसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

1. **निविदादाता संस्था, फर्म, एजेंसी द्वारा दिये जाने वाला तकनीकी प्रस्ताव :-**

- निविदादाता का तकनीकी मूल्यांकन परिशिष्ट-1 के अनुसार प्राप्त अंक के आधार पर किया जावेगा।
- परिशिष्ट-1 के आधार पर टेक्निकल बीड में 50 अंक या 50 से अधिक अंक प्राप्त करने वाली संस्थाओं का ही वित्तीय बीड खोला जायेगा। संस्थाओं के अंक समान होने पर, अधिक कार्यानुभव रखने वाली संस्था को प्राथमिकता दी जावेगी। यदि उक्त संस्थाओं की फाईनेंशियल बिड समान प्राप्त होती है, तो इसका निर्णय गुण-दोष के आधार पर लिया जायेगा।
- **लिफाफा-ए-** निविदाकार को **अमानत राशि एक पृथक लिफाफे-ए** में रख कर देना होगा।
- **लिफाफा-बी-** टेक्निकल बीड में संलग्न परिशिष्ट-04 से 06 की जानकारी, वांछित दस्तावेज यथा फर्म का पंजीयन, कर्मचारी भविष्य निधि पंजीयन, लेबर एक्ट, जीएसटी, ई0एस0आई0सी0, अनुभव प्रमाण-पत्र, आयकर रिटर्न आदि **लिफाफा-बी** में रख कर प्रस्तुत किया जाना होगा।
- निविदादाता एजेंसी/फर्म/संस्था के द्वारा निविदा प्रपत्र में दर्शित अर्हता के अनुरूप अनिवार्य दस्तावेजो की पूर्ति न किये जाने पर निविदाकार की निविदा स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
- **निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने, नियम शर्तों को शिथिल करने तथा बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा।**

2. **निविदादाता संस्था, फर्म, एजेंसी द्वारा दिये जाने वाला वित्तीय प्रस्तावः-**

- निविदादाता, संस्था, फर्म, एजेंसी द्वारा दिया जाने वाला वित्तीय प्रस्ताव परिशिष्ट-02 अनुसार भर के, **लिफाफा-सी (प्राईज बीड)** में प्रस्तुत करेगें।
- दो या अधिक निविदादाताओं की वित्तीय दर समान होने पर टेक्निकल बिड परिशिष्ट-1 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अधिकतम अंक एवं अधिक अनुभव रखने वाली फर्म से प्राप्त दर पर, सेवा ली जाएगी।
- निविदादाता, एजेंसी, फर्म, संस्था का वित्तीय निविदा में सेवा शुल्क, प्रतिशत में उल्लेख करना होगा, निरंक एवं दशमलव में स्वीकार नहीं किया जाऐगा। यदि निविदाकार द्वारा वित्तीय निविदा में सेवा शुल्क "निरंक" प्रस्तुत किया जाता है तो निविदा अमान्य घोषित कर दी जावेगी।
- प्राईस बिड अन्य लिफाफे (**लिफाफा-सी**) में जिस पर "प्राईज बिड" लिखा हुआ हो, भरकर प्रस्तुत करना होगा।
- **बिना कारण बताए निविदा में प्राप्त दरों को मान्य अथवा अमान्य करने का/निगोसियेशन का सर्वाधिकार प्रबंध संचालक, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा।**

3. निविदाकार निविदा प्रपत्र अनिवार्य रूप से बिना कोई पृष्ठ अलग किये विधिवत पूर्ण रूप से भरकर प्रस्तुत करेगा और उसके सभी पृष्ठ पर नीचे सील सहित हस्ताक्षर करेगा।

उपरोक्तानुसार निविदाकार को अमानत राशि, टेक्निकल एवं प्राईज बिड अलग–अलग लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात् तीनों लिफाफे (ए, बी, सी) को एक बड़े लिफाफे पर **''लेखापाल (उच्च कुशल श्रमिक), कनिष्ठ सहायक (उच्च कुशल श्रमिक) एवं श्रमिक हेतु मानव संसाधन''** लिख कर प्रस्तुत करना होगा।

अनुबंध की सामान्य भार्ते –

1. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा मानव संसाधन कर्मियों को भुगतानः–

प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा मानव संसाधन कर्मियों को एक मुश्त देय राशि का भुगतान प्रतिमाह किया जावेगा। निर्धारित एक मुश्त राशि में से फर्म/प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा किसी भी प्रकार के सेवा शुल्क की कटौती नहीं की जावेगी परंतु नियमानुसार कर्मियों से प्रदत्त भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा के अंश की कटौती की जायेगी तथा शेष राशि का भुगतान संबंधित कर्मी के बैंक खातों में करना होगा। ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. आदि कटौती उपरांत जमा किये गये चालान/रसीद की सत्यापित फोटो प्रति, प्रतिमाह निगम मुख्यालय में उपलब्ध कराया जाना होगा। नियुक्त किये गये मानव संसाधन को प्रतिमाह दिनांक 01 से 06 के मध्य पारिश्रमिक का भुगतान करने की जवाबदेही संबंधित फर्म/प्लेंसमेंट एजेंसी की होगी। जिसके उपरांत ही फर्म/प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत देयक का भुगतान, निगम द्वारा प्रक्रिया अनुसार किया जावेगा। फर्म/प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि, ई.एस.आई.सी. तथा अन्य सभी प्रचलित संबंधित शासकीय नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। विभिन्न नियमों का पालन करने तथा निर्धारित राशि जमा करने का उत्तर दायित्व फर्म/प्लेसमेंट एजेंसी का होगा।

2. फर्म/प्लेसमेंट एजेंसी, श्रम कानूनों का पालन करने के लिए स्वयं जवाबदार रहेगी एवं आवश्यक पंजीयन संबंधित विभाग से प्राप्त करेगी एवं प्रमाणपत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

3. चयनित संस्था/फर्म/एजेंसी के द्वारा श्रमिकों को पारिश्रमिक राशि भुगतान करने के पश्चात् देयक प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा भुगतान किया जावेगा। विगत माह के जी.एस.टी जमा राशि की पावती व ई.पी.एफ./ई.एस.आई.सी. जमा (कार्यरत कर्मचारियों का नाम सहित) राशि की पावती देयक के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4. फर्म/प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा, मानव संसाधन उपलब्ध कराते समय सभी संबंधित कर्मचारियों को नियुक्ति आदेश मय परिचय पत्र के, छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन को उपलब्ध कराना होगा, कर्मचारी की न्यूतम योग्यता की पूर्ति करने की संपूर्ण जवाबदारी प्लेसमेंट एजेंसी की होगी।

5. प्रत्येक कर्मचारी का कार्य सामान्यतः 8 घंटे प्रतिदिन का होगा तथा संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार (आवश्यकता होने पर ही) कार्य का अतिरिक्त समय निर्धारित किया जा सकेगा। इस हेतु पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी।

6. उपलब्ध कराये गये अकुशल श्रमिको को निर्धारित यूनिफार्म में, नाम पट्टीका सहित कार्य पर उपस्थित होना होगा।

7. कार्यालयीन समय में कोई भी, नियुक्त मानव संसाधन कर्मी निगम के संबंधित अधिकारी की अनुमति के बिना कार्य से अनुपस्थित नहीं रहेगा।

8. प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये मानव संसाधन को मुख्यालय द्वारा निर्देशित कार्य स्थल पर कार्य करना होगा।

9. मानव संसाधन (कर्मी) जिनका कार्य स्थल निगम मुख्यालय नवा रायपुर में होगा उन्हें निगम मुख्यालय आने–जाने हेतु मासिक "बस पास" निगम द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।

10. कार्य के दौरान प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा संतोषप्रद सेवायें प्रदान न करने की स्थिति में छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा एक सप्ताह का नोटिस दिया जावेगा तदउपरांत भी सेवायें संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

11. सभी नियोजित कर्मचारी कार्यालय में कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसमें कार्यालयीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आपत्ति हो। यदि आवश्यक हुआ तो या छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के अधिकारी के द्वारा सूचित किये जाने पर प्लेसमेंट एजेंसी को खराब आचरण करने वाले कर्मी को तत्काल बदलना होगा।

12. सफल निविदाकार प्लेंसमेंट एजेंसी से 03 वर्ष हेतु अनुबंध किया जावेगा, अनुबंध अवधि में संतोषजनक सेवा नहीं पाये जाने पर 01 माह के नोटिस पर सेवा प्रदाता के साथ अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है। संतोषजनक सेवा पाये जाने पर समान दर एवं शर्तो के तहत 01 वर्ष हेतु अनुबंध बढ़ाया जावेगा।

13. प्रत्येक वर्ष समानुपात आधार पर कर्मचारियों को केवल 12 दिवस का अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। 12 दिवस से अधिक अवकाश में रहने पर मासिक वेतन से समानुपात आधार वेतन की कटौती की जाएगी।

14. फर्म/प्लेंसमेंट एजेंसी को अब तक उनके द्वारा देय जीएसटी, ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. अन्य वैधानिक देय राशियों को शासन से संबंधित खातों में जमा करने, कोई देय राशि बकाया न होने, किसी भी विभाग में ब्लैक लिस्टेड न होने एवं किसी भी दैनिक समाचार पत्रों/न्यूज चैनलों में विवादित मामलों का प्रकाशन न होने का साक्ष्य के संबंध में निर्धारित प्रारूप में रू. 50/– मात्र के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित प्रमाण पत्र/शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

15. उपरोक्त शर्तो का पालन नहीं करने पर संबंधित प्लेसमेंट एजेंसी को तीन वर्षों हेतु निगम से ब्लेक लिस्टेड करते हुए अमानत/जमानत राशि राजसात की जावेगी।

16. उपलब्ध कराये गये मानव संसाधन (कर्मी) से संबंधित विवाद की स्थिति में विवाद सुलझाने का दायित्व चयनित फर्म/प्लेंसमेंट एजेंसी का होगा।

17. यदि चयनित फर्म/प्लेंसमेंट एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा, चयनित फर्म/प्लेंसमेंट एजेंसी के किन्ही कार्यकलापों की लिखित शिकायत छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन से की जाती है तो कार्पोरेशन को जांच एवं कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

18. व्यवहार में किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति निर्मित होने पर न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर, छत्तीसगढ़ का ही होगा।

परिशिष्ट–1

तकनीकी मूल्यांकन हेतु मापदंड प्रपत्रः–

क्र.	मापदंड	विवरण	अंकन प्रणाली	अंक	अधिकतम अंक
1	टर्नओवर	विगत 03 वर्षो में औसत वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम रूपये 50 लाख होना चाहिए।	रूपये 50 लाख से रूपये 01 करोड़ तक	20	50
			रूपये 01 करोड़ से रूपये 02 करोड़ तक	40	
			रूपये 02 करोड़ से अधिक	50	
2.	कार्य अनुभव	छ0ग0 राज्य की शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाओं द्वारा न्यूनतम एक वर्ष हेतु कार्य आदेश जारी करने वाली संस्थाओं की संख्या	03 संस्था तक	10	30
			03 से 05 संस्था तक	25	
			05 संस्था से अधिक	30	
3.	संतोषजनक सेवा प्रदान करने वाले वर्ष	छ0ग0 राज्य की शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं द्वारा जारी कार्य आदेश में संतोषजनक सेवा प्रदान करने वाले वर्ष की संख्या –	प्रत्येक संस्था द्वारा एक वर्ष हेतु जारी संतोषजनक सेवा के प्रमाण–पत्र पर 02 अंक प्रदान किये जावेगें।		20
			कुल		100

नोटः–

1. *कार्यादेश के नवीनीकरण/कार्य अवधि वृद्धि से संबंधित आदेश गणना हेतु मान्य नहीं किया जावेगा। केवल नवीन कार्यादेश एवं उनके द्वारा प्रदान किये गये "संतोषजनक सेवा प्रमाण–पत्र" की ही गणना की जावेगी।*
2. *50 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली संस्थाओं की ही प्राईज बिड खोली जावेगी।*
3. *विगत 03 वर्षो में औसत वार्षिक टर्नओवर राशि रूपये 50 लाख से कम होने पर निविदा अमान्य होगी।*

परिशिष्ट–2

निविदादाता फर्म / संस्था / एजेन्सी द्वारा भरे जाने वाला वित्तीय प्रस्ताव

निविदादाता फर्म / संस्था / एजेन्सी का नाम– ....

(1) हमें निविदा की सभी शर्ते स्वीकार है। हमें शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थाओं में मानव संसाधन उपलब्ध कराने का अनुभव है, जिसके संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न कर रहे है। हम इस निविदा के अंतर्गत निम्नांकित पदनाम के मानव संसाधन कर्मी के समक्ष दर्शायी गई एकमुश्त मासिक देय राशि की दर से बिना किसी कटौती किये (वैधानिक कटौती को छोड़कर) भुगतान करने का वचन देते है :–

क्रमांक	मानव संसाधन का नाम	अधिकतम कर्मियों की संख्या	शुद्ध मासिक वेतन (प्रति मानव संसाधन)
01	लेखापाल (उच्च कुशल कर्मचारी)	10	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित (कलेक्टर दर) अनुसार– वर्तमान में लागू उच्च कुशल श्रमिक दर– श्रमिक श्रेणी | जोन अनुसार राशि प्रतिमाह: अ | ब | स उच्च कुशल | 12830/– | 12570/– | 12310/– (यह दर, श्रम विभाग (जिला कलेक्टर) द्वारा समय–समय पर घोषित दर अनुसार परिवर्तनीय होगा।)
02	कनिष्ठ सहायक (उच्च कुशल कर्मचारी)	15	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित (कलेक्टर दर) अनुसार– उच्च कुशल श्रमिक दर – श्रमिक श्रेणी | जोन अनुसार राशि प्रतिमाह: अ | ब | स उच्च कुशल | 12830/– | 12570/– | 12310/– (यह दर, श्रम विभाग (जिला कलेक्टर) द्वारा समय–समय पर घोषित दर अनुसार परिवर्तनीय होगा।)
03	श्रमिक (उच्च कुशल / कुशल / अकुशल)	आवश्यकता अनुसार	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित (कलेक्टर दर) अनुसार– उच्च कुशल / कुशल / अकुशल श्रमिक दर – श्रमिक श्रेणी | जोन अनुसार राशि प्रतिमाह: अ | ब | स उच्च कुशल | 12830/– | 12570/– | 12310/– कुशल | 12050/– | 11790/– | 11530/– अकुशल | 10620/– | 10360/– | 10100/– (यह दर, श्रम विभाग (जिला कलेक्टर) द्वारा समय–समय पर घोषित दर अनुसार परिवर्तनीय होगा।)

नोट :– उक्त मानव कर्मियों की संख्या में कमी / अधिक की जा सकेगी।

(2) उपरोक्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिये एकमुश्त देय मासिक कुल राशि पर हमारा सुपरविजन एण्ड मैनेजमेन्ट चार्जेस ....प्रतिशत, (शब्दों में).................................. होगा, एवं जी0एस0टी0 अतिरिक्त होगा। जिसका भुगतान छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन नवा रायपुर द्वारा हमें करना होगा।

(सुपर विजन एण्ड मैनेजमेंट चार्जेस पूर्णांक में भरना अनिवार्य होगा एवं यह कुल भुगतान योग्य राशि का 04% से कम नहीं होगा। दशमलव में भरें गये निविदा दरों को अमान्य किया जावेगा।)

(3) उपरोक्त कंडिका 1 के अतिरिक्त EPF, ESIC एवं GST राशि का भुगतान विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत हमारे (निविदादाता फर्म) द्वारा किया जावेगा। जिसकी प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन नवा रायपुर द्वारा मासिक आधार पर देयक के साथ हमें की जावेगी।

(4) मानव संसाधन कर्मी को निर्धारित कलेक्टर दर राशि में से प्लेसमेंट एजेन्सी द्वारा किसी प्रकार सेवा शुल्क या अन्य मद में न ही कटौती की जा सकेगी या न ही वसूल की जावेगी, परंतु नियमानुसार कर्मचारी भविष्यनिधि, कर्मचारी राज्य बीमा की कटौती एवं अन्य संवैधानिक कटौती ही की जावेगी तथा शेष राशि का भुगतान संबंधित कर्मी के बैंक खातों में किया जावेगा।

(5) हमारे द्वारा वैधानिक देय राशि का भुगतान नियत समय में किया जावेगा एवं प्रत्येक माह देय जमा राशि का विवरण, चालान/पावती छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन नवा रायपुर में जमा किया जायेगा।

स्थान :– **फर्म के मालिक/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर**

दिनांक :– पूरा नाम...

संस्था का नाम ....

संस्था का सील मोहर

<u>परिशिष्ट–3</u>

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव

क्र0	पद	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव
1	2	3	4	5
1	लेखापाल (उच्च कुशल कर्मचारी)	18	45	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0कॉम में डिग्री के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन / पी0जी0डी0सी0ए0 तथा टेली में कार्यानुभव (कम से कम 06 माह)
2	कनिष्ठ सहायक (उच्च कुशल कर्मचारी)	18	45	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) (हायर सेकेण्डरी) परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन (टाईपिंग) का अनुभव (कम से कम 06 माह का)।
3	श्रमिक (उच्च कुशल) (कुशल) (अकुशल)	18	45	***उच्च कुशल*** – किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से (बी0सी0ए0) / डिप्लोमा (डी0सी0ए0) ***कुशल*** – किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण। ***अकुशल***– किसी मान्यता प्राप्त मण्डल / बोर्ड हाई स्कूल(10वीं) की परीक्षा उत्तीर्ण।

<u>नोट :–</u> हिन्दी / छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान आवश्यक है।

परिशिष्ट–4

निविदा जर्माकर्ता हेतु जांच सूची (Check List)

क्र0	विवरण	✓
1	निविदा में भाग लेने हेतु राशि रू. 5000/– (पांच हजार रुपये मात्र) जीएसटी सहित का डिमांड ड्रॉफ्ट संलग्न (Non-Refundable)	
2	अमानत राशि रू. 10,00,000/–(दस लाख रुपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न (Refundable)	
3	पैन नंबर की छाया प्रति संलग्न	
4	जी.एस.टी. नंबर पंजीयन की वैध छायाप्रति संलग्न	
5	विगत तीन वर्षो (2020–21, 2021–22 एवं 2022–23) का मानव संसाधन की सेवायें उपलब्ध कराने का वार्षिक टर्न ओवर (सी.ए. द्वारा नवीन सत्यापित प्रमाण पत्र) संलग्न	
6	ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. वैध पंजीयन प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न	
7	लेबर एक्ट वैध पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न	
8	50/– रूपये के स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र संलग्न करें।	
9	छ0ग0 राज्य के शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र (कार्य आदेश, संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र)।	
9 A	न्यूनतम 03 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र (कार्य आदेश, संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र)।	
10	विगत तीन वर्षो 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 का ऑडिट एंव आयकर रिटर्न की छायाप्रति संलग्न। (2022–23 के ऑडिट रिपोर्ट पूर्ण न होने की दशा में टर्नओवर सर्टिफिकेट सी.ए. द्वारा सत्यापित कर संलग्न कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।)	
11	राशि 20.00 लाख का बैंक साल्वेंसी प्रमाण पत्र	
12	कंपनी होने की दशा में मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एवं एसोसिएशन की प्रति संलग्न	
13	एजेंसी का रजिस्टर्ड ऑफिस छत्तीसगढ़ में स्थित होने का प्रमाण पत्र।	
14	अन्य दस्तावेज संलग्न	

परिशिष्ट–5
फर्म की जानकारी

1	फर्म का नाम	....
2	पूर्ण पता	....
3	फोन नं. .... फैक्स नं. ....मोबाईल नंबर....................................	
4	ई–मेल आई डी	....
5	फर्म की ओर से अधिकृति व्यक्ति का नाम .... पद .... मोबाईल नंबर	
6	फर्म के हेड ऑफिस का छत्तीसगढ़ में होने का प्रमाणपत्र (संलग्न करें)	....

फर्म / मालिक / हस्ताक्षर (पद मुद्रा सहित)

नाम ....

पता..

....

मोबाईल नंबर ....

परिशिष्ट–6

शपथ पत्र

1. मै. .... संस्था प्रमुख निवासी .... छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, प्रधान–कार्यालय, ग्राम–झांझ, सेक्टर–24, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ0ग0) द्वारा जारी निविदा प्रारूप, निर्धारित नियम एवं शर्तो का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। हमारे फर्म द्वारा देय जीएसटी, ई.पी.एफ., ई.एस. आई.सी. अन्य वैधानिक देय राशियों का शासन के संबंधित खातों में जमा किया गया है, कोई देय राशि बकाया नहीं है एवं किसी भी दैनिक समाचार पत्रों/न्यूज चैनलों में विवादित मामलों का प्रकाशन न होने का साक्ष्य प्रस्तुत है। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, नवा रायपुर को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे कार्यालय छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन की उपरोक्त से संबंधित सभी नियम एवं शर्ते स्वीकार है।
2. यह कि हमारी संस्था .... किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग द्वारा ब्लेक लिस्टेड (काली सूची) नहीं है।
3. यह कि हमारी एजेंसी को इस निविदा के तहत् प्रदाय की जाने वाली समस्त सेवाओं के लिये किसी भी संस्थान/व्यक्ति विशेष के न्यायालयीन प्रकरण एवं संबंधित द्वारा आरोप अधिरोपित नहीं है।
4. यह कि हमारी संस्थान को किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपात्र **(Black Listed)** सूचीबद्ध नहीं है।
5. निविदा में दर्शित समस्त नियम एवं शर्तों को हमारी एजेंसी द्वारा मान्य किया जावेगा।
6. उपरोक्त समस्त जानकारी त्रुटिपूर्ण प्रदान करने पर मेरे/हमारे विरूद्ध न्यायालयीन कार्यवाही करने का अधिकार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन को होगा।

फर्म/मालिक/हस्ताक्षर (पद मुद्रा सहित)

नाम ....

पता..

....

मोबाईल नंबर ....

(नोट–उपरोक्त घोषणा पत्र में दर्शित नियम एवं शर्तो को निविदाकर्ता द्वारा राशि 50/- के नोटरी द्वारा सत्यापित स्टाम्प पेपर पर सहमति देना अनिवार्य होगा।)

(रू.50/– के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र निविदा के टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होगा)